

Tathagat Gyansthi
Senior Secondary School
Atarra (Banda)-210201

- 15] संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे ।
- 16] कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनानी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अकादमिकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- 17] राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- 18] विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजीकण में रखे जायेंगे ।
- 19] उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेंगा ।
- 2- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या झिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेंगा ।

भवदीय,

रघुवीर गुप्ता मुख्याधीक्षिका ।
मुख्याधीक्षिका ।

पृ० सं०- 4088

11/15-7-तद्विनिर्देश

प्रतिलिपि निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- माडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, **अधी ।**
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, **अधी ।**
- 4- निरीक्षक, अंग्रेज भारतीय विद्यालय उ०प्र०, लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक, **अधी अधी अधी अधी अधी ।**
- 6- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

रघुवीर गुप्ता मुख्याधीक्षिका ।
मुख्याधीक्षिका ।

-14-13411
Manager

Tathagat Gyansthi
Senior Secondary School
Atarra (Banda)-210201

[Handwritten signature]